

फर्द आहवाय

(विभाग ३०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मुम्बा वनाय भवन्ताल (मोरा)

किरण मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 118 तारीख 2021

दिनांक

हुकम या कार्यवाही या इनिशपल्स आज

मायरा व कारोख
अहकाम जौ इत
हुकम की तारीख
में जारी हुए

27-8-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ वर्ज सविस्तर किए जाकर
विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 30-9-21 को
पत्र था ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक जजलक्टर माण्डल

13¹²/₂₁

पत्रावली प्रशासन गाँवों के सेग अभियान 2021
कैम्प गाय पंचायत जिन्नास में पेश हुई, शिपिंग
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए तहसीलदार
माण्डल से जोड़ा विपति प्राप्त हुई जिसे शास्त्र
पत्रावली किया गया। पत्रावली का कार्यनामा पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय क्षय से लिखा जाकर
पत्र किया गया। पत्रावली फैसल शुभकर होकर
भम्बर से कम लौ

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संन अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 118/21 प्रा-पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री लुक्वा 510 श्री सुखलाल कुमावत निवासी - हाजवी कावेड़ा तहसील
--प्राथी

1- श्री कंवरलाल 510 करदुस्लाल कुमावत निवासी - हाजवी कावेड़ा तहसील (कंसा)
(सहायिता) विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 13.12.21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... हाजवी कावेड़ा पटवार हल्का..... करिया तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 2153, 2156..... कुल किता 02 रकबा..... 0.4047 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 17.8.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... हाजवी कावेड़ा पटवार हल्का..... करिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 2153/739, 2556/739..... कुल किता 02..... रकबा..... 0.4047 हेक्टेयर.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... आलमास को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु का आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालनारिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021